रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10032023-244260
CG-DL-E-10032023-244260

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 161] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 10, 2023/फाल्गुन 19, 1944
No. 161] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 10, 2023/PHALGUNA 19, 1944

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2023

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति) (पंद्रहवां संशोधन) विनियम, 2023 (2023 का 01)

संख्या RG-16/1/(1)/2023-AP.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 10 की उप-धारा (1) तथा धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2001 (वर्ष 2001 का 02) में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात-

1. (1) इस विनियम को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति) (पंद्रहवां संशोधन) विनियम, 2023 कहा जाएगा।

(2) यह विनियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगा।

2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2001 (जिसे यहाँ पर'मूलविनियम'कहा जाएगा) के खंड 16 के उप-खंड (ii) में, निम्नलिखित नियम (प्रोविजो) को शामिल किया जाएगा, अर्थात्: -

"बशर्ते कि उप-खंड (i) के तहत, किसी भी पद पर सीधी भर्ती के मामले में इस उप-खंड के प्रावधान लागू नहीं होंगे।"

3. मूल विनियम'के विनियम 17 में, खण्ड (ग) औरखण्ड (घ) के लिएनिम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: --

"(ग) शेष आवेदन-पत्रों में से, नियुक्ति प्राधिकारी उन उम्मीदवारों को सूचीबद्ध करेगा जिन्हें साक्षात्कार या लिखित परीक्षा या दोनों के लिए बुलाया जाना है, जैसा नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे:

बशर्ते कि नियुक्ति प्राधिकारी सभी उम्मीदवारों को साक्षात्कार या लिखित परीक्षा या दोनों के लिए बुलाने का विकल्प चुन सकता है।

(घ) उम्मीदवारों का अंतिम चयन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा साक्षात्कार या लिखित परीक्षा या दोनों में उनके प्रदर्शन, जैसा भी मामला हो, और उनकी योग्यता और अनुभव के संयुक्त मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।"

4. 'मूल विनियम'की अनुसूची-I में, टिप्पणी (नोट) 3 के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: --

"टिप्पण (नोट) 3- **(i)**प्रधान सलाहकार और सलाहकार पदों के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की अधिकतम आयु, जैसा भी मामला हो, इन पदों को भरने हेतु आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ii) संयुक्त सलाहकार, स्टाफ अधिकारी, उप सलाहकार, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, प्रधान निजी सचिव, तकनीकी अधिकारी, अनुभाग अधिकारी/लाइब्रेरियन (पुस्तकालयाध्यक्ष) और निजी सचिव पदों के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की अधिकतम आयु, जैसा भी मामला हो, इन पदों को भरने हेतु आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।"

5. 'मूल विनियम'की अनुसूची **II** में, --

(क) सहायक के पद के सम्मुख, "सीधी भर्ती के लिए आयु" शीर्षक के अंतर्गत, "28 वर्ष से अधिक नहीं" शब्दों के स्थान पर, "30 वर्ष से अधिक नहीं" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) निजी सहायक के पद के सम्मुख, "सीधी भर्ती के लिए आयु" शीर्षक के अंतर्गत, "28 वर्ष से अधिक नहीं" शब्दों के स्थान पर, "30 वर्ष से अधिक नहीं" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) निजी सहायक के पद के लिए, "सीधी भर्ती के लिए योग्यता और अनुभव" शीर्षक के तहत, "(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / संस्थान से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण (ii) स्टेनोग्राफी (अंग्रेजी या हिंदी) के लिए 120 शब्द प्रति मिनट (w.p.m)की गति और टंकण (टाइपिंग) गति 30 शब्द प्रति मिनट, कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाला"शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष परीक्षा

(ii) स्किल टेस्टः

डिक्टेशन: 10 मिनट @ 100 शब्द प्रति मिनट

ट्रांसक्रिप्शन: 40 मिनट (अंग्रेजी), 55 मिनट (हिंदी) केवल कंप्यूटर पर।

वंदना सेठी, सलाहकार (प्रशासन एवं आई.आर.)

[विज्ञापन-III/4/असा./687/2022-23]

टिप्पणी (नोट): मूल विनियमभारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या 5-4/2000 (ए एंड एल) दिनांक 15 फरवरी, 2001 द्वारा प्रकाशित हुआ था और इसमें तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए थे:-

1. 1-6/2002-A&L दिनांक 22 जनवरी, 2004
2. 5-4/2000-A&L (Vol.I) दिनांक 11 मई, 2004
3. 5-4/2000-A&L (Vol.II) दिनांक 17 जून, 2004
4. 5-4/2000-A&P (Vol.II) दिनांक 10 मई, 2005
5. 5-4/2000-A&P (Vol.II) दिनांक 26 मई, 2006
6. 5-4/2000-A&P (Vol.II) दिनांक 9 अक्तूबर, 2006
7. 5-4/2000-A&P दिनांक 31 दिसंबर, 2008
8. 5-4/2005-A&P दिनांक 20 मार्च, 2009
9. 5-4/2000-A&P दिनांक 23 अप्रैल, 2010
10. 5-4/2000-A&P दिनांक 14 जुलाई, 2010
11. 5-1/2014-A&P दिनांक 8 जून, 2016
12. 5-1/2014-A&P दिनांक 27 जुलाई, 2017
13. 5-1/2020-A&P दिनांक 21 मई, 2020
14. आर.जी.-16/2/(1)/2022-AP दिनांक 24 मार्च, 2022

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2023

THE TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA (OFFICERS AND STAFF APPOINTMENT) (FIFTEENTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2023 (No. 1 of 2023)

No. RG-16/1/(1)/2023–AP—In exercise of the powers conferred by section 36, read with sub-section (1) of section 10, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) Regulation, 2001 (2 of 2001), namely:—

1. (1) These regulations may be called the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) (Fifteenth Amendment) Regulations, 2023.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In sub-clause (ii) of clause 16 of the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) Regulation, 2001 (hereinafter referred to as the "principal regulation"), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the provision of this sub-clause shall not apply in case of direct recruitment to any post under sub-clause (i)"

3. In regulation 17 of the principal regulation, for clause (c) and clause (d), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(c) From the remaining applications, the Appointing Authority will short-list the candidates who are to be called for an interview or written test or both, as the Appointing Authority considers fit:

Provided that the Appointing Authority may choose to call all candidates for interview or written test or both.

(d) Final selection of the candidates will be made by the Appointing Authority on the basis of combined evaluation of their performance in the interview or written test or both, as the case may be, and his qualifications and experience."

4. In schedule I of the principal regulation, for note 3, the following note shall be substituted, namely:-

"Note 3.- (i) The maximum age for persons to be appointed on deputation to the posts of Principal Advisors and Advisors shall in no case exceed fifty-eight years on the date of closing of applications for filling up the posts, as the case may be.

(ii) The maximum age for persons to be appointed on deputation to the posts of Joint Advisors, Staff Officer, Deputy Advisors, Senior Principal Private Secretary, Senior Research Officers, Principal Private Secretary, Technical Officers, Section Officer/Librarian and Private Secretary shall in no case exceed fifty-six years on the date of closing of applications for filling up the posts, as the case may be."

5. In schedule II of the principal regulation, --

(a) against the post of Assistant, under the heading "Age for Direct Recruit", for the words "Not exceeding 28 years", the words "Not exceeding 30 years" shall be substituted ;

(b) against the post of Personal Assistant, under the heading "Age for Direct Recruit", for the words "Not exceeding 28 years", the words "Not exceeding 30 years" shall be substituted; and

(c) against the post of Personal Assistant, under the heading "Qualification & experience for Direct Recruit", for the words "(i) 12th Standard Pass from a recognised Board/ Institution (ii) a Speed of 120 w.p.m. for Stenography (English or Hindi) and 30 w.p.m. in typing, Possessing working Knowledge of computer", the following words shall be substituted, namely:-

"(i) 12th class pass or equivalent examination from a recognized Board/ University

(ii) Skill Test —

(a) Dictation: 10 Minutes @ 100 words per minute

(b) Transcription: 40 Minutes (English), 55 Minutes (Hindi) on Computer only."

VANDANA SETHI, Advisor, (Admin & IR)

[ADVT.-III/4/Exty./687/2022-23]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide notification no.5-4/2000 (A&L) dated 15th February 2001, and amended vide the following notifications:

1. 1-6/2002-A&L dated 22nd January, 2004
2. 5-4/2000-A&L (Vol.I) dated 11th May, 2004
3. 5-4/2000-A&L (Vol.II) dated 17th June, 2004
4. 5-4/2000-A&P (Vol.II) dated 10th May, 2005
5. 5-4/2000-A&P (Vol.II) dated 26th May, 2006
6. 5-4/2000-A&P (Vol.II) dated 9th October, 2006
7. 5-4/2000-A&P dated 31st December, 2008
8. 5-4/2005-A&P dated 20th March, 2009
9. 5-4/2000-A&P dated 23rd April, 2010
10. 5-4/2000-A&P dated 14th July, 2010
11. 5-1/2014–A&P dated 8th June, 2016
12. 5-1/2014-A&P dated 27th July, 2017
13. 5-1/2020-A&P dated 21st May, 2020
14. RG-16/2/(1)/2022-AP dated 24th March, 2022

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA